


IN THE HIGH COURT OF GUJARAT  
(ORIGINAL JURISDICTION)  
In the matter of **M/s. Gujarat Synth Wood Ltd. (In Liqn.)**  
And  
In the matter Section 481 of the Companies Act, 1956

NOTICE is hereby given to all concerned in respect of **M/s. Gujarat Synth Wood Ltd. (In Liqn.)**. The Official Liquidator, Ahmedabad has earmarked the above company for dissolution u/s. 481 of the Companies Act, 1956 before the Hon'ble High Court of Gujarat. Any person, contributory, creditor, workmen, Government authorities or any other person interested or any person who has reason to get aggrieved by the dissolution of the said company may approach the undersigned within 15 days of the publication of notice. Any objection/complaint or any litigation in respect to the dissolution of the said company, if raised after the expiry of the period stipulated in the notice shall not be entertained by this office in future.


30 APR 2019

  
(M. K. SAHU, ICLS)  
OFFICIAL LIQUIDATOR  
HIGH COURT OF GUJARAT  
JIVABHAI CHAMBERS, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

गुजरात उच्च न्यायालय में संबंधित  
(मूल न्यायाधिकार)  
मैसर्स गुजरात सिंथेटिक वुड लि (परिसमापन में) के मामले  
तथा  
कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुभाग 481 मामले में

मैसर्स गुजरात सिंथेटिक वुड लि (परिसमापन में) के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों को नोटिस दिया जाता है। शासकीय समापक अहमदाबाद ने उपरोक्त कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 481 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात के सामने विघटन प्रस्ताव रखने हेतु निर्धारित किया है। किसी भी व्यक्ति, अंशदायी, लेनदार, मजदूर, सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को रुचि या किसी भी व्यक्ति जो उक्त कंपनी के विघटन से पीड़ित हो सकते हैं, नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित शासकीय समापक से संपर्क कर सकते हैं। इस कंपनी के विघटन के संबंध में कोई भी आपत्ति / शिकायत या मुकदमा, यदि नोटिस में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किया जाता है, तो भविष्य में इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

30 APR 2019

  
(एम. के. साहु, आईसीएलएस)  
शासकीय समापक  
उच्च न्यायालय गुजरात  
जिवाभाई चैंबर, आश्रम रोड, अहमदाबाद